

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-5/खेल प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांक : 2(17)/का/क-5/खेल प्रकोष्ठ/2024

जयपुर, दिनांक -

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्र. शासन सचिव/
शासन सचिव, वि. शासन सचिव
2. समस्त संभागीय आयुक्त
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान

विषय :- 10th राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस तथा
6th राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बेडमिंटन प्रतियोगिता
2024-25 के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्मिक विभाग के तत्वाधान में जिला कलक्टर, जयपुर के माध्यम से 10th राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस तथा 6th राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बेडमिंटन प्रतियोगिता 2024-25 का जयपुर जिले में दिनांक 07.02.2025 से 09.02.2025 तक आयोजन कराया जाना विचाराधीन है।

कृपया प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की सूचना दिनांक 10.01.2025 तक प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता जिला कलक्टर, जयपुर को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिभाशाली अधिकारियों की प्रतियोगिता में व्यापक भागीदारी हो सके, इस हेतु कृपया समस्त अधिकारियों को सूचित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का श्रम करावें।

संलग्न : दिशा-निर्देश

भवदीय

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त प्रतियोगितायें के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
2. उप निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाईट पर न्यूज बोर्ड पर अपलोड/डिस्प्ले कराने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव

**राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता हेतु
दिशा-निर्देश**

1. **प्रतियोगिता का नाम, अवधि तथा स्थान :-** इस प्रतियोगिता का नाम 10th राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस प्रतियोगिता तथा 6th राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024-25 होगा। यह प्रतियोगिता दिनांक 07.02.2025 से 09.02.2025 तक जिला कलक्टर, जयपुर के माध्यम से जयपुर जिले में आयोजित कराई जायेगी।

2. **प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के नाम एवं एन्ट्री भेजने का माध्यम :-**

क्र.स.	खेल का नाम	भाग लेने वाली टीम का नाम	एन्ट्री भेजने का माध्यम
1.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान मंत्री परिषद्
2.	टेनिस	बैडमिंटन	भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
3.	टेनिस	बैडमिंटन	भारतीय पुलिस सेवा (IPS)
4.	टेनिस	बैडमिंटन	भारतीय वन सेवा (IFS)
5.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS)
6.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान पुलिस सेवा (RPS)
7.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान लेखा सेवा (RACS)
8.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान वन सेवा (RFS)
9.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा (RCTD)
10.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान परिवहन सेवा (RTnS)
11.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान सचिवालय सेवा (RSS)
12.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा
13.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान आयोजना सेवा
14.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान कॉलेज शिक्षा सेवा
15.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (सा. नि.वि., सिंचाई, जन स्वा.अभि. वि.)
16.	टेनिस	बैडमिंटन	राज्य बीमा सेवा
17.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान कृषि सेवा
18.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा (RRDS)
19.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान शिक्षा सेवा (RES)
20.	टेनिस	-	अन्य कैडर सेवा (OCS) (IRS, RHJS or Equivalent Officers)
21.	टेनिस	बैडमिंटन	राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार सेवा (DOIT)

3. **खेलवार खिलाड़ियों की संख्या :-**

क्र.स.	प्रतियोगिता का नाम	खिलाड़ियों की संख्या	खिलाड़ियों की कुल संख्या
1.	10 th Rajasthan State Civil ServicesCS Challenger Cup Tennis Tournament	11 सदस्यीय टीम (7 पुरुष खिलाड़ी(5+2 Veterans)+ 4 महिला खिलाड़ी)	11 सदस्यx 20टीम = 220
2.	6 th Rajasthan State Civil ServicesCS Challenger CupBadminton Tournament	11 सदस्यीय टीम (7 पुरुष खिलाड़ी(5+2 Veterans)+ 4 महिला खिलाड़ी)	11सिदस्यx 19टीम = 209
		कुल खिलाड़ी	429

4. **किट (खेल पोशाक) :-**

- सभी टीमों को निर्धारित किट (खेल पोशाक) के साथ ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायेगा।
- खेल पोशाक पर खेल नियमानुसार चेस्ट नम्बर अंकित होना आवश्यक है।

- सभी टीम के प्रतिभागियों को निर्धारित किट (फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान) एवं प्लेग आयोजनकर्ता (संबंधित जिला कलक्टर) के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

5. प्रतियोगिता (इवेन्ट) का निरस्तीकरण :-

- टेनिस एवं बेडमिंटन में पर्याप्त एवं स्तरीय प्रविष्टि प्राप्त नहीं होने पर संबंधित खेल के इवेन्ट को निरस्त करने का अंतिम निर्णय आयोजन समिति के अध्यक्ष का होगा।
 - महिलाओं की श्रेणी में कम से कम 4 एन्ट्री प्राप्त होने पर ही प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।
- 6. प्रतियोगिता का प्रचार-प्रसार :-**संबंधित विभागों द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए की गई कार्यवाही का पत्र/आदेश की प्रति शासन उप सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जायेगी तथा समाचार पत्र/SMS/e-mail/whatsapp के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

7. टीम के चयन की प्रक्रिया :-

- **टीम के चयन हेतु :-** संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के चयन ट्रायल के लिए खिलाड़ी अधिकारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :-

क्र.सं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	Emp. ID/ e-mail id	DOB/DOJ
--------	------------	-----	-------	-------	-----------	-----------------------	---------

- विभाग द्वारा किसी खिलाड़ी अधिकारी/कर्मचारी को रिलीव नहीं करने का निर्धारित समय पर स्पष्ट कारण सहित पूर्ण सूचना भिजवानी होगी।
- यदि कर्मचारी/अधिकारी स्वयं विभागाध्यक्ष है, तो प्रशासनिक विभाग को भी प्रति भिजवानी होगी।
- प्रत्येक प्रतियोगी को अपने नियंत्रणाधीन अधिकारी से नवीन पासपोर्ट साईज के फोटो युक्त परिचय पत्र प्रमाणित करवाकर साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगी को प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- **आवेदन पत्रों का संकलन :-**संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के चयन ट्रायल के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना खेलवार संकलित करसंयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुरको उक्त प्रारूप में भिजवाई जायेगी।
- **चयनित टीम की सूचना :-**संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार उपस्थित खिलाड़ियों में से टीम का चयन कर सूचना निम्न प्रारूपानुसार प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता जिला कलक्टर जयपुर को भिजवाते हुये प्रतिलिपी संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भी भिजवाई जायेगी :-
 - प्रतियोगिता का नाम
 - टीम का नाम
 - खेल का नाम
 - चयन ट्रायल का स्थान
 - चयन किये जाने खिलाड़ियों की संख्या
 - चयनित खिलाड़ियों का विवरण निम्न प्रारूपानुसार
 - हस्ताक्षर चयनकर्ता (नाम मय पदनाम)

क्र.सं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	Emp. ID/ e-mail id	DOB/DOJ
--------	------------	-----	-------	-------	-----------	-----------------------	---------

- **रिजल्ट शीट :-**खेल में चयन हेतु तैयार की गई रिजल्ट शीट भी भेजी जावें।
- **परिचय पत्र:-**प्रत्येक प्रतियोगी को अपने नियंत्रणाधीन अधिकारी से नवीन पासपोर्ट साईज के फोटो युक्त परिचय पत्र प्रमाणित करवाकर साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगी को प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8. प्रतियोगिता का प्रारूप :-

- प्रतियोगिता में किसी भी टीम के निर्धारित समय से 15 मिनट पश्चात् तक भी प्रतियोगिता स्थल पर रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में उपस्थिति विपक्षी टीम को वॉकओवर देकर विजेता घोषित कर दिया जायेगा।
- यदि किसी प्रतियोगी को रैफरी के निर्णय पर कोई आपत्ति हो तो वह मैच समाप्त होने के आधा घण्टे के भीतर रु. 500/- जमा कराकर प्रोटेस्ट कर सकता है।
- प्रोटेस्ट पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- सभी खिलाड़ियों को खेल के दौरान अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा खेल सद्भावना एवं खेल भावना के साथ खेलना होगा।
- खेल के दौरान अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी को प्रतियोगिता से रैफरी के द्वारा बाहर किया जा सकता है।
- अनुशासनहीनता की अपील बाद में आयोजन समिति को आधे घण्टे में करनी होगी, जिस पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- अधिकारी एक खेल में ही भाग ले सकेंगे। दो खेलों में भाग लेने पर संबंधित टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।
- भाग लेने वाले खिलाड़ियों को रैकेट स्वयं के लाने होंगे तथा उसके टूटने अथवा गुम होने की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता तथा खेल परिषद की नहीं होगी।

9. खेल के नियम :-

- प्रतियोगितायें वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय स्तर के नियमों के आधार पर आयोजित की जायेगी।
 - प्रतियोगिता के दौरान रैफरी का निर्णय अंतिम होगा।
 - सभी मैच लीग कम नॉक आउट आधार पर खेले जायेंगे।
 - प्रतियोगिता टीम स्पर्धा के रूप में आयोजित की जायेगी।
 - सभी मैच बेस्ट ऑफ थ्री के फॉरमेट में आयोजित किये जायेंगे। प्रथम मैच पुरुष डबल, द्वितीय मैच वेटर्न (45 वर्ष से उपर) डबल, तृतीय मैच पुरुष सिंगल का होगा।
 - केवल एक खिलाड़ी अधिकतम दो मैचों में भाग ले सकेगा।
10. **राज्य सरकार द्वारा देय सुविधा :-**प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कार्मिकों को नियमानुसार विशेष आकस्मिक अवकाश (Sports) एवं टीए/डीए देय होगा।
11. **प्रतियोगिता में तकनीकी सहयोग :-**
- रैफरी को रू. 300/- प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जायेगा।
 - प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए क्वालीफाईड रैफरी संबंधित स्थानीय संघ/शिक्षा विभाग से लिये जायेंगे।
 - आयोजनकर्ता के सहयोग हेतु खेल अधिकारी, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित रहेंगे।
12. **आयोजनकर्ता के कार्य :-**
- उद्घाटन एवं समापन समारोह की व्यवस्था।
 - प्रतियोगिता अवधि एवं समारोह के लिए टेंट/माईक आदि की व्यवस्था।
 - प्रमाण-पत्र, पुरुस्कार (रनर एवं विनर) एवं स्मृति चिन्ह की व्यवस्था।
 - प्रतियोगिता के संचालन, मैदान एवं खेल उपकरण की व्यवस्था।
 - टीमों के आवास व्यवस्था आदि।
 - अन्य आवश्यक व्यवस्था एवं कार्य।
 - प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का वाद-विवाद होने पर अंतिम निर्णय आयोजनकर्ता का होगा।
 - प्रतियोगिता आयोजनकर्ता प्रतियोगिता की प्रगति रिपोर्ट मान. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
संयुक्त शासन सचिव

Document certified by NARENDRA KUMAR
BANSAL <nkbansal14775@yahoo.com>.

Digitally Signed by Narendra
Kumar Bansal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date :20-08-2024 06:04:43